

कार्यालय प्रधानाचार्य:: जी० एस० वी० एम० मेडिकल कालेज :: कानपुर।

पत्र संख्या- /ई०सी०-1/एन०डी०/2025

दिनांक-19/02/2025

सूचना :-

शासन के पत्र संख्या-148/71-1-24/71-1001/804/2020 दिनांक 14 जून 2024 द्वारा राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में रिक्त चिकित्सा शिक्षकों के पदों को संविदा के आधार पर वाक-इन-इन्टरव्यू माध्यम से चयन के मामलों में नियुक्ति/सैनाती व अभ्यर्थियों को तत्काल कार्यभार ग्रहण करने हेतु रोबायोजन विज्ञापित संख्या-01/एन०डी०/2025 दिनांक 01-01-2025 के सन्दर्भ में राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर में विभिन्न विभागों/द्रामा सेक्टर के अन्तर्गत संविदा के आधार पर आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य के रिक्त पदों पर सेनायोजन हेतु विज्ञापित की गयी है, जिसके आधार पर सेगी के उपचार/एन०एम०सी० (एम०सी०आई०) मानकों की पूर्ति हेतु इस चिकित्सा महाविद्यालय/सुपर स्पेशियलिटी इन्स्टीट्यूट (पी०एम०एस०एस०आई०) रिक्त आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य के पदों को संविदा के आधार पर भरे जाने हेतु इन पदों पर चयन वाक-इन-इन्टरव्यू (walk-in-interview) पद्धति से शासन द्वारा नियुक्त चयन समिति के माध्यम से किया जायेगा। इच्छुक अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सामाजिक हेतु अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ विज्ञापित जारी होने के पश्चात माह के शुक्रवार दिनांक 21-02-2025 को परीक्षा हॉल-3, मेडिकल कालेज, कानपुर में प्रातः 09:00 बजे से सायं-04:00 बजे के मध्य उपस्थित हो। अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि वह सामाजिक के दिवस अपने समस्त शैक्षिक/अनुभव प्रमाण पत्रों/शोध पत्रों तथा एन०एम०सी० की गाइड लाइन के अनुसार सहायक आचार्य हेतु सीनियर रेजीडेंसी एवं आचार्य/सह आचार्य हेतु एम०ई०टी०/पी०सी०पी०आर० प्रमाण पत्र की (स्व प्रमाणित) छायाप्रतियों का एक सेट बायोडाटा सहित भी लायेंगे। चिकित्सा शिक्षकों के पदों की रिक्तियों एवं नियुक्ति की शर्तें जी०एस०वी०एम० मेडिकल कालेज, कानपुर के वेबसाइट www.gsvmmmedicalcollege.com पर उपलब्ध हैं। पदों की संख्या घट बढ़ सकती है।

क्र. सं.	विशेषता का नाम	संविदा चिकित्सा शिक्षकों की रिक्त पदों की संख्या								
		आचार्य	आरक्षित श्रेणी	रोस्टर क्रमांक	सह आचार्य	आरक्षित श्रेणी	रोस्टर क्रमांक	सहायक आचार्य	आरक्षित श्रेणी	रोस्टर क्रमांक
1	आर्थोपैडिक्स	1 द्रामा	अनारक्षित	(4)	1	अनारक्षित ओ०बी०सी० अनारक्षित	(32) (57) (58)	1	ए०एम०सी०	(83)
2	आयुर्वेद	0	0	0	1	ए०एम०सी० ई०डब्ल्यू०एस०	(59) (60)	1	अनारक्षित	(104)
3	आन्स्ट्रेटिक्स एण्ड गायनोकोलाजी	1	ई०डब्ल्यू०एस०	(50)	1	अनारक्षित	(2)	1	ओ०बी०सी० ए०एम०सी०	(109) (163)
4	इम्यूनो हिमेटोलॉजी एण्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन	1	अनारक्षित	(54)	0	0	0	0	0	0
5	इन्टरनेट मेडिसिन	1	ओ०बी०सी०	(55)	1	अनारक्षित ओ०बी०सी०	(66) (67)	1	ई०डब्ल्यू०एस० ए०एम०सी० अनारक्षित	(110) (111) (112)
6	एन्डोक्रायनोलॉजी (पीएनएसआरआई)	1	अनारक्षित	(38)	1	ओ०बी०सी०	(37)	1	ए०एम०सी०	(59)
7	एनाटमी	0	0	0	0	0	0	1	ओ०बी०सी० ई०डब्ल्यू०एस० ओ०बी०सी० अनारक्षित अनारक्षित ओ०बी०सी०	(39) (40) (51) (76) (86) (87)
8	एनेस्थीसिया	1	ई०डब्ल्यू०एस०	(10)	1	अनारक्षित ओ०बी०सी० अनारक्षित ए०एम०सी० ई०डब्ल्यू०एस० ओ०बी०सी० अनारक्षित	(6) (9) (68) (69) (70) (71) (72)	1	ई०डब्ल्यू०एस० अनारक्षित ए०एम०सी० ए०एम०सी० ओ०बी०सी०	(10) (14) (15) (115) (119)
9	आई०सी०यू०एनेस्थीसियोलॉजी (पीएनएसआरआई)	1	ओ०बी०सी०	(39)	1	ओ०बी०सी०	(39)	0	0	0
10	ओटो लैरिंगोलॉजी(ई०एम०टी०)	1	ओ०बी०सी०	(57)	1	ई०डब्ल्यू०एस० अनारक्षित	(40) (74)	0	0	0
11	कम्युनिटी मेडिसिन	0	0	0	1	अनारक्षित	(12)	1	ओ०बी०सी० ओ०बी०सी० ए०एम०सी० ई०डब्ल्यू०एस० अनारक्षित	(19) (81) (121) (160) (172)
12	किटिकल केयर आई०सी०यू० (पीएनएसआरआई)	1	ई०डब्ल्यू०एस०	(40)	1	ए०एम०सी०	(41)	0	0	0
13	जनरल मेडिसिन	0	0	0	1	ओ०बी०सी० अनारक्षित ओ०बी०सी० अनारक्षित ए०एम०सी० ई०डब्ल्यू०एस० ओ०बी०सी० अनारक्षित ए०एम०सी० अनारक्षित	(75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (104) (105) (91)	1	ई०डब्ल्यू०एस० ए०एम०टी० अनारक्षित ए०एम०सी० अनारक्षित ओ०बी०सी० ए०एम०सी० अनारक्षित अनारक्षित अनारक्षित अनारक्षित	(20) (47) (52) (53) (54) (55) (63) (64) (123) (124) (125) (126) (127)
14	जनरल सर्जरी	1 कोरिडोर सर्जरी 1 द्रामा	ओ०बी०सी० ओ०बी०सी०	(17) (19)	1	ओ०बी०सी० अनारक्षित ओ०बी०सी० अनारक्षित ए०एम०सी०	(85) (86) (87) (88) (89)	1	ए०एम०सी० अनारक्षित अनारक्षित ओ०बी०सी० ए०एम०सी० ई०डब्ल्यू०एस० ओ०बी०सी० ई०डब्ल्यू०एस० ए०एम०सी० अनारक्षित अनारक्षित ओ०बी०सी० अनारक्षित अनारक्षित ए०एम०सी०	(21) (22) (24) (65) (99) (100) (129) (130) (131) (132) (165) (166) (167) (168) (169)
15	द्यूबरकुलोसिस एण्ड रेस्पिरेटरी मेडिसिन	0	0	0	1	अनारक्षित ई०डब्ल्यू०एस० अनारक्षित	(54) (90) (106)	1	अनारक्षित	(134)
16	डर्मिटोलॉजी (स्कीन एण्ड वी०डी०)	1	ओ०बी०सी०	(65)	1	ओ०बी०सी० ओ०बी०सी०	(91) (107)	0	0	0
17	डेंटल	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	न्यूरोलॉजी	0	0	0	0	0	0	1	ओ०बी०सी०	(27)
19	न्यूरोसर्जरी	0	0	0	1	ई०डब्ल्यू०एस०	(110)	0	0	0
20	न्यूरो रेडियोलॉजी (पीएनएसआरआई)	1	अनारक्षित	(42)	1	अनारक्षित	(44)	0	0	0

21	नेफ्रोलॉजी, (मेडिसिन) नेफ्रोलॉजी(पीएमएसएसएसवाई)	1	ओपीडीसी	(27)	0	0	0	0	0	0	0
22	पीडियाट्रिक्स	0	0	0	1	1	एसासीओ अनारक्षित ओपीडीसी	(93) (94) (95)	1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0
23	पेन मेडिसिन (पीएमएसएसवाई)	1	एसासीओ	(45)	1	1	एसासीओ	(47)	1	1	0
24	पैथालॉजी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	फार्माकालॉजी	1	एसासीओ	(49)	1	1	एसासीओ अनारक्षित	(25) (34)	1	1	0
26	फिजिकल एण्ड मेडिकल रिहबिलिटेशन (पीएमएसएसवाई)	0	0	0	1	1	अनारक्षित	(48)	0	0	0
27	फिजियोलॉजी	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
28	फॉरेन्सिक मेडिसिन	1	अनारक्षित	(52)	0	0	0	0	1	1	0
29	बायोकेमिस्ट्री	1	ओपीडीसी	(61)	1	1	अनारक्षित	(96)	1	1	0
30	माइक्रोबायोलॉजी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	यूरोलॉजी (पीएमएसएसवाई)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	रेडियोलॉजिस्ट	1	ओपीडीसी	(37)	1	1	ईओडब्ल्यूएसओ अनारक्षित एसासीओ ईओडब्ल्यूएसओ एसासीओ अनारक्षित	(90) (96) (99) (100) (101) (102)	1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0
33	साइकियट्री	1	अनारक्षित	(68)	1	1	ओपीडीसी	(103)	1	1	0
		20			58				81		

- उक्त पदों पर नियमानुसार आरक्षण देय होगा संविदा पर नियुक्ति की शर्त निम्नवत् है-
- संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले आचार्यों का नियत वेतन ₹0-2,20,000/-, सह आचार्यों का नियत वेतन ₹0-1,60,000/-, सहायक आचार्यों को नियत वेतन ₹0-1,20,000/- एवं प्रवक्ता फार्मसी पद हेतु ₹0 75000/- प्रतिमाह है। इस हेतु आवेदनकर्ता को Medical Council of India, Minimum Qualification For Teachers in Medical Institutions Regulations, 2022 द्वारा निर्धारित शैक्षिक अहताएँ एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक है।
 - शासनदेश संख्या- 2282/71-1-2013-जी-11/2011 दिनांक 23-09-2013 द्वारा राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में सेवानिवृत्त चिकित्सा शिक्षकों को संविदा पर नियुक्ति किये जाने की अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष होगी।
 - शासनदेश सं-562/71-1-2020-जी-63/2008 दिनांक 10 जून, 2020 द्वारा संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अधिकतम आयु नियुक्ति वर्ष के जुलाई माह के प्रथम दिवस को सहायक आचार्य हेतु 60 वर्ष, सह आचार्य हेतु 64 वर्ष एवं आचार्य हेतु 68 वर्ष होगी।
 - चयन से सम्बन्धित कालेज से उत्तीर्ण अर्थात् तथा नये स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अर्थवर्ती अर्थवर्ती पर वरीयता प्रदान की जायेगी।
 - चिकित्सा शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता/शैक्षिक अनुभव उक्त राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अकादमियों की जारी सेवा नियमावली (पंचम संशोधन)-2018 एवं समय-समय पर पूर्व में निर्गत सेवा नियमावली में नियत व्यवस्था के अनुसार होगी।
 - ओपीडीसी के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
 - प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले शिक्षकों को प्राइवेट प्रैक्टिस के स्थान निर्दिष्ट करना होगा।
 - कोई भी चिकित्सा शिक्षक इस चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालयों में अन्य श्रेणियों को प्राइवेट में देखने के लिए बाध्य नहीं करेगा।
 - प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कालेजों में आकर्षक/आपदा सेवाओं के दृष्टिगत हमेशा उपलब्ध रहना होगा।
 - उक्त नियत वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ अनुमन्य नहीं होंगे।
 - संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की सेवायें लोक सेवा आयोग से सीधी नहीं के माध्यम से चयनित चिकित्सा शिक्षकों के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायेंगी एवं सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर भी सेवा समाप्त की जा सकती है।
 - ऐसे चिकित्सा शिक्षकों का संविदा कार्यकाल एक वर्ष होगा। एक वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात लोक सेवा से चयनित अर्थवर्ती/नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इनकी संतोषजनक सेवा के आधार पर कार्यकाल पुनः बढ़ाया जा सकेगा।
 - संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वह करार होने के 30 दिन के भीतर सम्बन्धित मेडिकल कालेज में अपना कार्यभार ग्रहण कर लें। उक्त समयवधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में संविदा स्वतः रद्द मानी जायेगी। संविदा पर नियुक्त ऐसे चिकित्सा शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण की सूचना सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा शासन तथा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण को तत्काल भेजी जायेगी।
 - संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक संविदा कालावधि के लिए किसी प्रकार की पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा। उसे उक्त कालावधि के लिए कोई बोनस देय नहीं होगा।
 - चिकित्सा शिक्षक शासकीय सेवा में विनियमतीकरण के लिए हकदार नहीं होगा।
 - संविदा आधारित नियुक्ति किसी भी एक पक्ष द्वारा और किसी भी समय 01 माह की सूचना या एक माह का संविदा वेतन मुगतान करके समाप्त की जा सकती है।
 - संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अन्य सेवा शर्त ऐसी होगी जैसे करार या अनुबंध पत्र में विनिर्दिष्ट की जाये। संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों के अनुबंध या करार में इस तथ्य का उल्लेख किया जायेगा कि वह नभिये में अपने कार्य एवं अपने कार्यकाल के आधार पर अपने विनियमतीकरण अथवा स्थायीकरण का दावा नहीं करेंगे और न ही उन्हें निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुमन्य होगी।
 - अर्थवर्तियों से साक्षात्कार के समय इस आशय का घोषणा पत्र भी प्राप्त किया जायेगा कि उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय में कोई अपराधिक याद प्रचलित नहीं है, यदि उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य प्राप्त जाता है तो उनकी सेवाएँ समाप्त कर दी जायेगी।
 - उपरोक्त शासन, कार्यालय अनुभाग-2, उभरो लखनऊ के कार्यालय द्वारा सं-1/2019/4/1/2002/का-2/19 टी.सी.-II दिनांक 18-02-2019 के अन्तर्गत ईओडब्ल्यूएसओ (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु कुल वर्गों में 800 लाभ से कम होगी तथा परिकार की आय और परिसम्पत्ति का प्रमाण पत्र सम्बन्धित क्षेत्र के रहस्यीयता से अनिम्न अधिकारी द्वारा जारी/प्रमाणित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में विस्तृत नियम नोट पर देखा जा सकता है।
 - सुपर स्पेशियलिटी के पदों की शैक्षिक अर्हता नवीन एनओएसओ गाइड लाइन के अनुसार अनुमन्य होगी।
 - सुपर स्पेशियलिटी के पदों का समायोजन होने की दशा में पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है।
 - जो आर्थवर्ती एमओडी/एमएसओ के अतिरिक्त कोई अन्य योग्यता रखता/रखती है, तो उसे वरीयता दी जायेगी।

प्रधानाचार्य
मेडिकल कालेज, कानपुर

सं-63 / तददिनांक

- प्रतिलिपि- निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उभरो लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञापित को वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करे।
 - समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उभरो।
 - नॉडल अधिकारी वेब साइट, मेडिकल कालेज, कानपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञापित को वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करे।

प्रधानाचार्य
मेडिकल कालेज, कानपुर